



SAVE SAL TREE



SAVE JHARKHAND

कार्यालय, वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल।

मोहनपुर, पोस्ट-पचम्बा, जिला-गिरिडीह, पीन कोड-815316

email-dfo-giridiheast@gov.in, Phone No.-06532-222127

पत्रांक- 3134 दिनांक- 29/12/18

सेवा में,

वन संरक्षक,
प्रादेशिक अंचल,
गिरिडीह।

विषय - 220 KV D/C जसीडीह-गिरिडीह ट्रांसमिशन लाईन निर्माण हेतु गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल अन्तर्गत 40.789 हे० एवं देवघर वन प्रमण्डल अन्तर्गत 12.9614 हे० कुल 53.7504 हे० वन-भूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग - प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-1310 दिनांक-20.12.2018

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में विषयक प्रस्ताव में प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची द्वारा की गई आपत्ति का निराकरण निम्नवत है :-

1	Online Part-I में Area to be diverted के सम्पूर्ण alignment का KML file upload नहीं है।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सम्पूर्ण alignment का KML file upload कर दी गई है।
2	Part-II में Giridih Forest Division के CA Land का केवल एक Segment/Patch का KML upload किया गया है। जबकि Geo, Referred map में CA land अन्य Patch भी परिलक्षित होता है अतः CA हेतु चयनित सभी खण्डों का KML upload किया जाय।	Giridih Forest Division के लिए चयनित सभी खण्डों का KML file upload कर दी गई है।
3	Part-II में Giridih & Deoghar वन प्रमण्डलों में वर्णित वृक्षों की संख्या एवं Hard Copy में उपलब्ध कराये गये वृक्षों की संख्या में अंतर है जिसे स्पष्ट सुधार किया जाय।	गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल के अन्तर्गत ट्रांसमिशन लाईन के बीच पड़ने वाले कुल 1175 वृक्षों की सूची प्रस्ताव के साथ संलग्न की गई। जिसमें 22 बाँस बखार की संख्या भी सम्मिलित है। भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 2(7) से बाँस को वृक्ष की श्रेणी से विलोपित कर दिया गया है; अतः Online Proposal में मात्र 1154 वृक्षों को ही अंकित की गई है।
4	Part-II में CF Deoghar की अनुशंसा Online Uploaded नहीं है।	त्रुटि प्रमण्डल से संबंधित नहीं है।

आपका विश्वासी,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल।

29/12/18